

सं. 35034/3/2008-स्थापना(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001.

दिनांक 16 नवम्बर, 2009.

कार्यालय जापन

विषय: केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समसंख्यक कार्यालय जापन दिनांक 19 मई, 2009 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संशोधन पूर्व समूह 'घ' वेतनमानों अर्थात् 2550-3200 रुपये, 2610-3540 रुपये, 2610-4000 रुपये और 2650-4000 रुपये को अपग्रेड कर दिया गया है और इसके स्थान पर वेतन बैंड-1 में 1800 रुपये के ग्रेड वेतन का संशोधित वेतन ढांचा कर दिया गया है । छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन संशोधनों पूर्व समूह 'घ' वेतनमानों के सरकारी कर्मचारियों को वेतन बैंड-1 में 1800 रुपये के ग्रेड वेतन का संशोधित वेतन ढांचा स्वीकृत किया गया है । एमएसीपीएस दिनांक 19.05.2009 के अनुबंध-1 के बिन्दु-5 के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि उपरोल्लिखित चार वेतनमानों को बीते समय में अर्जित अथवा अगस्त, 1999 की एसीपी स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत अपग्रेडेशन जिनका ग्रेड वेतन अब 1800 रुपये है, को एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ नज़रअंदाज किया जाएगा । तथापि, वर्तमान समूह 'घ' कर्मचारियों द्वारा 1900/- रुपये का अर्जित पदोन्नति/वित्तीय अपग्रेड किए गए ग्रेड वेतन (संशोधन पूर्व वेतनमान 3050-75-3590-80-4590 रुपये) को एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ गिना जाएगा ।

ह०/-

(आलोक रंजन)

निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (स्टैंडर्ड सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ।
4. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ।
5. सचिव, स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. राष्ट्रीय परिषद् (जेसीएम) के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य ।
7. स्थापना (घ) शाखा -100 प्रतियां ।
8. एनआईसी [कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एसीपी) की वेबसाइट पर इस कार्यालय जापन को अपलोड करने हेतु]

ह

(आलोक रंजन)

निदेशक (स्थापना)